बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

दिनांक...14/7/06.....

पत्रांक– 43

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना ।

विषयः केन्द्रीय वेतनमान के अन्तर्गत भविष्य निधि के तहत कटौती किये जाने वाली राशि में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने के विरूद्ध ''संघ'' का विरोध ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ''संघ'' निम्नांकित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हैः–

1. चतुर्थ एवं पंचम केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्त्तो को बिहार सरकार द्वारा लागू किये जाने के पूर्व एवं इसके उपरान्त यह व्यवस्था की गयी है कि भविष्य निधि कटौती का नयून्तम सीमा $6^1/_2\%$ एवं अधिकतम सीमा मूल वेतन से अधीक नहीं होगी ।

2. पूर्व में जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों को मूल वेतन का $8^1/_4\%$ राशि की कटौती भविष्य निधि में किये जाने का प्रावधान था । उस समय बिहार सरकार द्वारा भविष्य निधि कटौती की सीमा 15% निर्धारित थी । इससे कम कटौती किये जाने पर सरकार द्वारा सूद की राशि $12^1/_2\%$ से घटाकर 10% किये जाने की अनुमान्यता थी । स्पष्ट है कि राज्य सरकार की मंशा थी कि कर्मचारी/पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा राशि अपने भविष्य निधि में जमा करें । इसके प्रोत्साहन के लिए उन्हें $12^1/_2\%$ सूद की राशि का भुगतान करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ।

3. कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र में इस आशय का समाचार देखकर ''संघ'' को घोर आश्चर्य हुआ कि कर्मचारियों/पदाधिकारियो की भविष्य निधि में कटौती की अधिकतम सीमा 15% सरकार द्वारा निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के प्रावधान के अनुरूप ग्रुप बीमा की कटौती की राशि एवं अन्य शर्त्तो को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकार करने के बाद अगर भविष्य निधि की राशि की कटौती की सीमा केन्द्र सरकार के प्रावधान के विरूद्ध किया जाता है तो यह कदम कर्मचारियों/पदाधिकारियो एवं राज्य सरकार के बीच किये गये समझौते का उल्लंघन होगा ।

अतः ''संघ'' यह मॉग करती है कि भविष्य निधि में कटौती की अधिकतम सीमा पूर्ववत् रहने दिया जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

ज्ञापांक – 43 पटना, दिनांक 14/7/06

प्रतिलिपि – सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/06

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव